देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ......

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2019/IRTR/02

E-Newsletter, Issued in Public Interest

गुरुवार, 14 नवम्बर 2019

नगर निगम तो जाग गया,जे.डी.ए. कब जागेगा?

अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स पर कार्यवाही के लिए नगर निगम ने कसी कमर,जे.डी.ए. अभी भी गहरी नींद में|

आखिर लाख प्रयासों के बाद शहर में चल रहे अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स के खिलाफ नगर निगम द्वारा कार्यवाही चालू कर दी गयी है इस क्रम में निगम के सिविल लाईन ज़ोन द्वारा दिनांक 11/11/2019 को कार्यवाही करते हुए 6 रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स को 180 दिन के लिए सील कर दिया जबकि मोती डूंगरी जोन में स्थित काफका को आगामी आदेशों तक सील किया गया,वही दिनांक 13/11/2019 को कार्यवाही करते हुए नगर निगम के सांगानेर ज़ोन द्वारा 5 रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स को 180 दिन के लिए सील कर दिया गया है|

न फायर एनओसी और ना ही नक्शा स्वीकृत

नियमों की अनदेखी कर रहे छह रूफटॉप रेस्टोरेंट सीज

रेस्टोरेंट सीज करने की कार्रवाई पुलिस की मौजूदगी में की गई।

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. नगर निगम टीम ने बिना फायर एनओसी और बिल्डिंग प्लान के अवैध रूप से चल रहे 6 रूफटॉप रेस्टोरेंट को 6 महीने के लिए सीज कर दिया। एक साथ छह रूफटॉप रेस्टोरेंट के सीज होने से सिविल लाइंस जोन समेत शहर में नियम विरुद्ध रूफटॉप रेस्टोरेंट चलाने वालों में खलबली मच गई। सिविल लाइन जोन के उपायुक्त रामकिशोर मेहता ने कहा पूरे सिविल लाइंस जोन में 100 से ज्यादा रेस्टोरेंट नियम-कायदों के बिना चल रहे हैं।

इन पर हुई कार्रवाई

- **ब्लैक आउट** -अहिंसा सर्किल
- **रिट्रीट-** अहिंसा सर्किल
- **प्ले बॉय रूफटॉप रेस्टो.-** मालवीय मार्ग सी स्कीम
- **एलओएल रेस्टोरेंट एंड कैफे-** अग्रसेन सर्किल सी स्कीम
- **हांडी रूफटॉप रेस्टोरेंट-** एमआई रोड
- **999 रूफटॉप रेस्टोरेंट-** मॉल 21 के सामने

सभी रेस्टोरेंट को नोटिस दिया जाएगा।

कोचिंग सेंटर के बाद रूफ टॉप रेस्त्रां पर कार्रवाई पर निकला प्रशासन

सी-स्कीम में 7 रूफ टॉप रेस्त्रां सील, नोटिस में होटल के नाम में गड़बड़ी पर हुआ विरोध

सिटी रिपोर्टर | जयपुर

कोचिंग सेंटर के बाद निगम ने रूफ टॉप रेस्त्रां पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को निगम ने सी-स्कीम में 7 रूफ टॉप रेस्त्रां को सील कर दिया। हालांकि अग्रसेन मार्ग पर एक नोटिस में मौके पर नाम बदलना पड़ा, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट प्रबंधन व निगम अफसरों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बाद में निगम ने भूल सुधार करते हुए भवन को 180 दिनों के लिए सील कर दिया। यहां नोटिस मायोस रेस्टोरेंट के नाम से पहुंचा, जबकि कार्रवाई लोल कैफे पर की गई।

निगम के सिविल लाइन जोन उपायुक्त आरके मेहता के नेतृत्व में निगम की टीम अहिंसा सर्किल पहुंची। यहां से टीम ने आगे बढ़ते हुए एक के बार एक 6 रूफ टॉप रेस्त्रां व बार को सील किया। उधर, मोतीडूंगरी जोन में एक रेस्टोरेंट को सील किया गया है। निगम कमिश्नर विजयपाल सिंह के निर्देश पर बिना निगम स्वीकृति चल रहे सात रूफटॉप रेस्टोरेन्टो, बार व डिस्कोथेक को 180 दिन के लिए सीज कर दिया गया है। सिविल लाइन जोन में 6 एवं मोती डूंगरी जोन में एक कार्रवाई की गई है।

सी स्कीम स्थित होटल गोल्डन ओके के आठवें एवं नवें फ्लोर पर संचालित ब्लैक आउट, मालवीय मार्ग सी स्कीम स्थित लोल केफै, अहिंसा सर्किल स्थित फॉरच्यून हाइट्स में संचालित रिट्रिट, ऑर्चिड माल स्थित प्लेबाय, एम.आई रोड स्थित हांडी एवं माल 21 में संचालित सोशल वाइब्स (999) रूफटॉप रेस्टोरेन्ट/बार/डिस्कोथेक को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 की उपधारा (7) (एफ) के तहत 180 दिवस के लिए सीज किया गया है। इसी प्रकार मोतीडूंगरी जोन में त्रिमूर्ति एनक्लेव टोंक रोड पर स्थित वाइट कमिट हॉस्पिटेलिटी प्रा.लि (काफका) को आगामी आदेशों तक सील किया गया है।

5 रूफटॉप रेस्त्रां और हुक्का बार सील किया

सिटी रिपोर्टर. जयपुर

शहर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों पर चलने वाले रूफ टॉप रेस्टोरेंट और रेस्त्रां पर पर निगम प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। सिविल लाइन, सी स्कीम, बनीपार्क व राजापार्क के बाद बुधवार को मालवीय नगर व सांगानेर एरिया में रूफ टॉप रेस्टोरेंट परिसरों को सील की गई।

निगम कमिश्नर विजयपालसिंह के निर्देश पर जोन की टीम ने 5 रेस्टोरेंट व रेस्त्रां बार को आगामी 6 माह के लिए सील कर दिया। दो जगहों पर तो अवैध हुक्का बार चलता पाया तो निगम अफसरों ने पुलिस को भी सूचना दी। यही नहीं रेस्टोरेंट के मेन्यू बोर्ड पर निगम अफसरों ने ही क्लोज्ड का पर्चा चस्पा कर दिया।

कमिश्नर विजयपाल सिंह ने बताया कि शहर में अवैध रूप से संचालित रूफ टॉप पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सांगानेर जोन में गिरधर मार्ग, मालवीय नगर पर संचालित डं॰च बार एवं मिडनाइट वेगास, एसएल मार्ग पर संचालित जयपुर दरबार, जयपुर सेन्ट्रल बीटू बाईपास पर संचालित क्लब रेजियो एस्टेरिया तथा गोल्ड सुक में संचालित टेन इलेवन रूफटॉप रेस्टोरेन्ट व बार तथा डिस्को थैक को 180 दिवस के लिए सीज किया गया है। इस दौरान सांगानेर जोन के अधिकारी, सतर्कता शाखा, स्वास्थ्य शाखा एवं फायर शाखा के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा – 302012 मोबाइल:-9828346151

अभी तक सील किये गए अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स की सूची

क्रमांक	ज़ोन	नाम	पता
1	सिविल लाइन	ब्लैक आउट	अहिंसा सर्किल
2	सिविल लाइन	रिट्रीट	अहिंसा सर्किल
3	सिविल लाइन	प्ले बॉय	मालवीय मार्ग,सी-स्कीम
4	सिविल लाइन	एलओएल	अग्रसेन सर्किल,सी-स्कीम
5	सिविल लाइन	हांडी	एम.आई. रोड
6	सिविल लाइन	999	माल 21 के सामने,सी-स्कीम
7	मोती डूंगरी	काफका	टोंक रोड,SMS स्टेडियम के सामने
8	सांगानेर ज़ोन	ड्रन्च	गिरधर मार्ग,मालवीय नगर
9	सांगानेर ज़ोन	मिड नाईट	गिरधर मार्ग,मालवीय नगर
10	सांगानेर ज़ोन	जयपुर दरबार	एसएल मार्ग
11	सांगानेर ज़ोन	रेजियो	बी-2 बाई पास
12	सांगानेर ज़ोन	टेन इलेवन	गोल्ड सुक,जवाहर सर्किल के पास

लगातार सुनने में आ रही थी अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स में आगजनी की ख़बरें

शहर में लगातार ऐसे रेस्टोरेंट्स में आगजनी की ख़बरें आ रही थी,विगत 2 सालों में शहर के कई रेस्टोरेंट्स जैसे क्लासिक,एरेना वन,काफका,बोम्बे मिष्ठान भंडार में आग लग चुकी है,जिसके बाद लगातार जिम्मेदार विभागों पर इन अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स के विरुद्ध कार्यवाही का दबाव था|

आखिर सील हुआ अवैध रेस्टोरेंट Asteria

सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम द्वारा बी-2 बाईपास स्थित जयपुर सेंटर की छत पर चल रहे अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट Asteria को भी सील कर दिया है,जिसे जे.डी.ए. अधिकारियों द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मास्टर प्लान के सन्दर्भ में गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार मामले में अवैध निर्माणों को कम्पाउंड नहीं किये जाने के आदेश के बावजूद अधिकारियों से सांठ गाँठ कर,नियमित कर दिया गया था,जिसके खिलाफ हमारे द्वारा हर स्तर तक शिकायत भी की गयी थी और यह मामला जे.डी.ए. ट्रिब्यूनल और लोकायुक्त में भी लंबित है|

जे.डी.ए. दबाये बैठा है 67 रूफ टॉप की सूची,ना सुचना दे रहा है और ना ही कर रहा कोई कार्यवाही

जहाँ एक तरफ नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार ऐसे अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है वही दूसरी और जे.डी.ए. की प्रवर्तन शाखा जे.डी.ए. के 8 जोनो में सर्वे करवा चुकी है और 67 अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स को नोटिस भी दे चुका है,परन्तु प्रवर्तन शाखा द्वारा ना तो कोई कार्यवाही की जा रही है और ना ही हमारे द्वारा सुचना मांगने पर दिए गए नोटिसों की सुचना दे रहा है|

हमारे सर्वे के अनुसार 210 रूफ टॉप रेस्टोरेंट शहर में संचालित

हमारे द्वारा करवाये गए सर्वे के अनुसार शहर में 210 रूफ टॉप रेस्टोरेंट संचालित है,जिनमे से अधिकांश अवैध है|सिविल लाईन ज़ोन के उपायुक्त श्री आर.के.मेहता के अनुसार सिविल लाईन ज़ोन में ही करीब 100 अवैध रूफ टॉप संचालित है,जे.डी.ए. के सर्वे के अनुसार 67 अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स संचालित है|इस हिसाब से अभी कईयों पर कार्यवाही बाकी है|